11.07.2014

आरक्षी केंद्र लांजी से प्रधान आरक्षक भिमेश्वर पारधी क.892 द्वारा थाना अपराध कमांक 28 / 14 अंतर्गत धारा ३२४, ३२६ भा.द.वि. में अभियुक्त परमेश्वर पिता गोमाजी लांझेवार, जाति तेली, उम्र–45 साल, सा0 ग्राम खरगाल मोहल्ला, थाना लांजी के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

फार्म कमांक-1 में जानकारी दो प्रतियों में पेश की गई जिसका सत्यापन किया गया।

अभियुक्त की फरारी के संबंध में प्रधान आरक्षक भीमेश्वर पारधी क्रमांक 892 के फरारी कथन लेखबद्ध किये

प्रकरण विचारण हेतु संस्थित किया जाना आदेशित किया जाता है। अतः प्रकरण माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालाघाट के न्यायालय के पंजीयन लिपिक को पंजीयन हेतू प्रेषित किया जावें । पंजीयन लिपिक उक्त प्रकरण को पंजीयन करने के पश्चात फार्म क्रमांक-1 की एक प्रति पर पावती लेकर इस न्यायालय को अविलंब प्रेषित करें।

प्रकरण पंजीयन उपरांत प्राप्त होनें पर पुनः

प्रस्तुत किया जावें।

अमित सिंह सिसोदिया न्या0मजि0प्रथम श्रेणी बालाघाट

प्रकरण पंजीयन के पश्चात प्राप्त हुआ । पंजीयन कुमांक आदेश पत्रिका के शीर्ष पर लिखा जावें । प्रकरण आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध हों।

प्रकरण के अवलोकन से तथा प्रधान आरक्षक भीमेश्वर पारधी क.892 की फरारी साक्ष्य से यह दर्शित है कि विवेचना के दौरान आरोपी की यथासंभव स्थानों पर तलाश की गई, किंतु उसका कोई पता नहीं चला है। भविष्य में उक्त आरोपी के मिलने की कोई संभावना नहीं है। उक्त आरोपी की चल-अचल संपत्ति के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। अतः आरोपी परमेश्वर पिता गोमाजी लांझेवार, जाति तेली, उम्र–45 साल, सा० ग्राम खरगाल मोहल्ला, थाना लांजी के विरूद्ध धारा 299 द.प्र.सं. अंतर्गत कार्यवाही की जाकर आरोपी को फरार घोषित किया जाता है।

उक्त आरोपी के विरुद्ध आज ही पुलिस अधीक्षक, बालाघाट के माध्यम से लाल स्याही से लेख कर स्थाई गिरफतारी वारंट जारी किया जावें।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति पेश नहीं। चूंकि प्रकरण में उक्त आरोपी के विरूद्ध विचारण की कार्यवाही शेष है। अतः प्रकरण के पृष्ठ भाग पर लाल स्याही से ''आरोपी फरार है, प्रकरण नष्ट न किया जावें'' की टीप अंकित कर प्रकरण अभिलेखागार प्रेषित किया जावें।

> अमित सिंह सिसोदिया न्या0मजि0प्रथम श्रेणी बालाघाट

